पत्रांक :–3/यो.1–13/2016 (उ0शि0) 491 ....

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 27/04/2023

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, रॉची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/–(तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ)रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 4,31,000/–(चार लाख एकतीस हजार रूपये)मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– 1. स्वीकृत्यादेश संख्या 1507 दिनांक 04.07.2016
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची का पत्रांक 417(नि0) दिनांक 30.01.2023

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलबध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, रॉची के Girls Section में नये भवन के निर्माण एवं Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1507 दिनांक 04.07.2016 द्वारा 10,46,80,800/– (दस करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार आठ सौ) रूपये मात्र की की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण के लिए रू0 3,18,98,800/–(तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ)रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2022–23 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, रॉची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/–(तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ)रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 4,31,000/–(चार लाख एकतीस हजार रूपये)मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

Sl.No.	Item	Amount in Rs.
1	Administrative Approval	3,18,98,700.00
2	Agreement Value	2,54,28,583.00
3	Excess/Savings	30,65,267.00
4	Operational Charge of JSBCCL	17,80,000.00
5	GST on JSBCCL Charge	1,57,798.00
6	Total Cost of Project (2+3+4+5)	3,04,31,648.00
7	Total amount Released till date	3,00,00,000.00
8	Balance Amount (6-7)	4,31,648.00

Say Rs. **4,31,000.00**

6. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

7. वित विभाग के पत्रांक–3520, दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1507 दिनांक 04.07.2016 एवं 162/बजट दिनांक 02.05.2019	3,00,00,000/–	3,00,00,000/–

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

11. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी PWD Code के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

13. स्वीकृत्यादेश संख्या 1507 दिनांक 04.07.2016 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

21.4.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–13/2016 (उ0शि0) 49/बजट/राँची, दिनांक– 27/04/2023

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार) 21.4.23
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–13/2016 (उ0शि0) 49/बजट/राँची, दिनांक– 27/04/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार) 21.4.23
सरकार के सचिव।